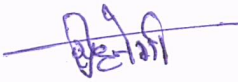


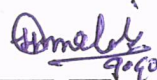
उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

योजना का नाम—I—उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला—जौलीग्रान्ट—ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा II—उत्तराखण्ड राज्य के रा०रा०-73 (झाझरा के पास) को दिल्ली—देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सैक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड़ का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या— 7 (स्पर) के भानियावाला जौलीग्रान्ट, ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक चार लेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 39.6690 हे० वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप मसूरी रेंज के अधीन ग्राम छमरोली में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 25.400 हे० के फलस्वरूप 15.00 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जगह उपयुक्त पाई गई है।



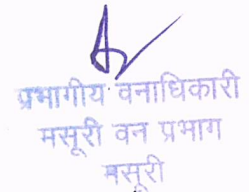
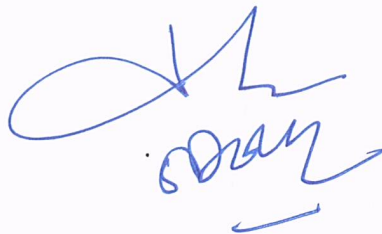
(शुरेश सिंह नेगी)
वन बीट अधिकारी
सिल्ला प्रथम बीट



(मौ.जियाउल हक)
वन दरोगा
सिल्ला अनुभाग



(शिव प्रसाद गैरोला)
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज



प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

परियोजना का नाम— उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला—जौलीग्रान्ट—ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेने चौड़ीकरण योजना के अधीन 39.6690 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

स्थल का नाम—~~दमरोली~~सिविल में 15.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षों तक रखरखाव करना।

जिला	प्रभाग	रेंज	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे० में)
देहरादून	मसूरी	मसूरी रेंज	सदर	दमरोली सिविल	15.00

वृक्षारोपण मॉडल एवं तकनीकी विवरण

की जाने वाली प्रजातियां :- जलवायु के अनुरूप स्थानीय स्वदेशी प्रजातियां

कार्यान्वयन एजेन्सी :- वन विभाग

समय :- प्रस्ताव में उच्च स्तर से विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त।

रोपण की विधि पौधालय में उगाई गई पौध को पहले से खोदे गए गड्ढों में रोपित करना।

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

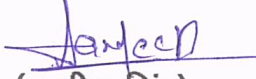

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

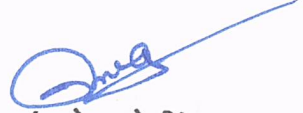
उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

योजना का नाम—I—उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा II—उत्तराखण्ड राज्य के रा०रा०-73 (झाझरा के पास) को दिल्ली- देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सैक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 7 (स्पर) के भानियावाला जौलीग्रान्ट, ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक चार लेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 39.6690 हे० वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप रायपुर रेंज के अधीन ग्राम मखड़ेती में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 14.6350 हे० के फलस्वरूप 10.00 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जगह उपयुक्त पाई गई है।


(सन्दीप सिंह)
वन बीट अधिकारी
राजपुर बीट


(मोहबत सिंह चौहान)
वन दरोगा
राजपुर अनुभाग


(राकेश नेगी)
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज

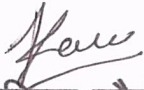



प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

योजना का नाम—I—उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला—जौलीग्रान्ट—ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा **II**—उत्तराखण्ड राज्य के रा०रा०—73 (झाझरा के पास) को दिल्ली— देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सैक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या— 7 (स्पर) के भानियावाला जौलीग्रान्ट, ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक चार लेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 39.6690 हे० वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप रायपुर रेंज के अधीन ग्राम द्वारा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 15.474 हे० के फलस्वरूप क्रमशः 10.00 हे० एवं 5.00 हे० कुल 15.00 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जगह उपयुक्त पाई गई है।


(जसविन्दर कौर)
वन बीट अधिकारी
द्वारा बीट


(विरेन्द्र दत्त जोशी)
उप वन क्षेत्राधिकारी
द्वारा अनुभाग


(राकेश नेगी)
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज




प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

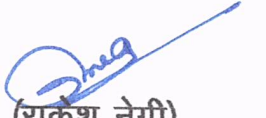
क्षतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि की उपलब्धता एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

योजना का नाम—I—उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला—जौलीग्रान्ट—ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 39.6690 हे० वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप रायपुर रेंज के अधीन ग्राम द्वारा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 15.474 हे० के फलस्वरूप क्रमशः 10.00 हे० एवं 5.00 हे० कुल 15.00 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08-08-2024 को किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान उक्त वर्णित क्षेत्र में बरसात के कारण कंटीली लैन्टाना झाड़ियां एवं अन्य घास उगी हुई है। जिस कारण DSS रिपोर्ट में क्षेत्र **Moderate Dense** आ रहा है। उक्त क्षेत्र में कंटीली लैन्टाना झाड़ियों आदि के उन्मूलन के पश्चात क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र उपयुक्त है।


(जसविन्दर कौर)
वन बीट अधिकारी
द्वारा बीट


(विरेन्द्र दत्त जोशी)
उप वन क्षेत्राधिकारी
द्वारा अनुभाग


(राकेश नेगी)
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज


S. S. S. S.


प्रमाणित वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी